Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.gisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2024 GISRRJ | Volume 7 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

अध्यापक शिक्षा : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में

डॉ. कैलाश चन्द मीणा
सहायक आचार्य , शिक्षापीठ, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय , नई दिल्ली

Article Info
Article History
Accepted : 25 March 2024
Published : 05 April 2024

Publication Issue :
Volume 7, Issue 2
March-April-2024

Page Number : 67-70

सारांश :- प्रस्तुत पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा, शिक्षा संस्थानों और अद्यतन शिक्षक प्रशिक्षकों तथा शिक्षा पाठ्यक्रम तथा नवीनतम परिदृश्य में शिक्षक प्सरकार और इस व्यवसाय से जुड़े नागरिकों की भूमिका पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है । क्योंकि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता (National Buildor) माना जाता है,शिक्षक की गलती अक्षम्य होती है क्योंकि शिक्षक गलती करता है तो आने वाली अनेक पीढ़ियों का नाश होते चला जाता है। जबकि चिकित्सक, इंजीनियर जैसे पैसे में गलती करने पर इतना नुकसान नहीं पहुंचता है । अत: शिक्षक शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण बनाने की जिम्मेदारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की है।

बीज बिंदु:- शिक्षा नीति, शिक्षा संस्थान, प्रशिक्षक, बहुविषयक, मूल्य, परंपराएं,नवाचार आदि।

भूमिका :- हम उस्ताद , अध्यापक, आचार्य, शिक्षक, गुरु कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं परंतु संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें अध्यापक , शिक्षक या गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती हो क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि :-

गुर बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि संकर सम होई - श्रीरामचरितमानस 7 . 92 (ख) 3

अर्थात साधारण व्यक्ति की कौन कहे कोई ब्रह्मा और शिव जी के समान क्यों न हो वह भी गुरु की शरण के बिना भवसागर को पार नहीं कर सकता तथा रामचरितमानस के प्रारंभ में कहते हैं

बंधऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि । - मानस 1 आदि सोरठा 5

अर्थात गुरु को कृपा का समुद्र और मनुष्य रूप में परमात्मा कहकर उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं ।

भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत पवित्र और ऊंचे दर्जे का माना गया है गुरु माता पिता यहां तक कि ईश्वर से भी ज्यादा आदरणीय विश्वसनीय तथा सम्मानीय माना जाता है गुरु संस्कारों का सृजन करके शिष्यों को विकारों के विसर्जन के लिए प्रेरित करता है और शिष्य को पवित्र शुद्ध तथा योग्य बनाता है । कबीर दास जी ने गुरु के दर्जे के सम्मान में स्वयं भगवान से भी बढ़कर विश्वास व श्रद्धा जाने की बात कही है :-

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय ।
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय ।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License.

अर्थात महान अमेरिका मनोवैज्ञानिक जी.बी वाटसन ने अपनी कला कौशल का परिचय देते हुए कहा कि **तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूं** गुरु की कौशलता अनंत है, अतुलनीय है क्योंकि गुरु शब्द अपने आप में भारी होने की ओर इशारा करता है ज्ञान से संस्कारों से अनुभव से दोनों से समाज उसे बाहर लिए होते हैं तथा सब और से बाहरी बलवान नीतिज्ञ होते हैं गुरु हर सवाल का जवाब है आलोक का अवतरण शून्य से शिखर पर पहुंचाने वाला किंतु किमकर्तव्यविमुढ में दिशा प्रदान करने वाला भटकने पर अटकने न देने और शिष्य को डूबते हुए को तिनके का सहारा देने वाले ऐसा समर्थ सक्षम और अज्ञान का नाश करने वाला तेज रूप ब्रह्म गुरु होता है। सनातन धर्म में स्कंद पुराण के अंतर्गत गुरुगीता में गुरु को परिभाषित करके कहा गया है कि गु का अर्थ है अंधकार एवं रू का अर्थ है तेज प्रकाश अज्ञान का विनाश करने वाला तेज रूप ब्रह्म गुरु ही है।

इसी को आधार मानते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता विस्तार पर फोकस किया गया है जैसे –

15 .1 अध्यापक शिक्षा से संबंधित अद्यतन प्रगति के साथ भारतीय मूल्यों भाषाओं ज्ञान लोकाचार और परंपराओं जनजाति परंपराओं के प्रति शिक्षक जागरूक रहें । उत्तम शिक्षक तैयार करने के लिए हमें पाठ्यक्रम , पाठ्यसमग्री , शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम , विषयों के स्तरों को स्थान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शिक्षक को तकनीकी कौशल समावेशयुक्त , विविध नवाचारों के ज्ञान युक्त होना अति आवश्यक एवम वर्तमान समय की मांग है, जिसके संदर्भ में पुण्य मिश्रा एवं मैथ्यू जे. कोहलर (2006) ने टीपैक (TPACK) मॉडल को प्रस्तुत कर तकनीकी ज्ञान (TK) शैक्षणिक ज्ञान (PK) विषय ज्ञान (CK) के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई है। जिससे हमें तकनीकी के साथ साथ विभिन्न विषयों के ज्ञाता भारतीय ज्ञान परंपरा , मूल्यों ,आदर्शों तथा भारतीय आदिवासी परंपराओं के ज्ञान युक्त अध्यापक प्राप्त हो सकेंगे जिसका दायित्व अध्यापक शिक्षा संस्थानों का है। जिससे इस नीति का क्रियान्वयन हो सकेगा,और भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो सकेगा ।

शिक्षक का ज्ञान क्षेत्र (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में) :-

- भारतीय मूल्य
- भारतीय ज्ञान
- लोकाचार और परंपरा
- जनजातीय परंपरा
- भारतीय भाषा

उपर्युक्त बिंदुओं के द्वारा शिक्षक का ज्ञान क्षेत्र विस्तार से समझा जा सकेगा ।

15. 2 सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायमूर्ति जेएस वर्मा आयोग(2012) के अनुसार अध्यापक शिक्षा के प्रति लेश मात्र गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं (ऐसे शिक्षक संस्थानों की संख्या 10,000 से अधिक है) बल्कि ऊंचे दामों पर डिग्रियों को बेचा जा रहा है , इस दिशा में सरकारों द्वारा किए गए विनियामक प्रयास विफल नजर आने लगे और सिस्टम में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गुणवत्ता के लिए निर्धारित बुनियादी मानकों की न्यूनता एवं इस क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव (उत्कृष्टता व नवाचार में) स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं अगर शिक्षा संस्थानों की यही स्थिति रही और इसके नियंत्रण हेतु संवैधानिक निकाय स्थापित नहीं किए गए तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं जब भावी पीढ़ी को अ कुशल अल्पज्ञानी है अप्रशिक्षित, पढ़े-लिखे मूर्ख तथा नकलची कहा जाएगा जिससेहमारे ज्ञान के क्षेत्र में सिरमौर की ख्याति धूमिल होती नजर आएगी तथा शिक्षा की गुणवत्ता व कौशल की कल्पना हम कभी कर ही नहीं सकते तथा शिक्षा संस्थान केवल डिग्री नहीं कागज बांटने का कार्य कर रहे होंगे तथा भारत का भविष्य मिट्टी में मिलता नजर आएगा अत: इसी नियामक प्रणालियों में महत्वपूर्ण कार्रवाई के द्वारा पुनुरूधारकी तत्काल आवश्यकता है जिससे शिक्षक शिक्षा प्रणाली में अखंडता, विश्वशनीयता और उच्च गुणवत्ता को बहाल किया जा सके।

15.3 शिक्षण पैसे की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए निम्न स्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ उल्लंघन के लिए 1 वर्ष का समय दिए जाने के पश्चात कठोर कार्रवाई करने का अधिकार हो गया जो बुनियादी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे निम्न स्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों की पहचान, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर , उनकी शैक्षिक गतिविधियां ,उनका शिक्षा क्षेत्र में अभीष्ट

अधिगम परिणाम , उनका राष्ट्र निर्माण में योगदान, उनकी शैक्षिक उपलब्धि , उनके द्वारा सामाजिक योगदान , उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण में सहभागिता इत्यादि बिंदुओं पर विचार करते हुए उन पर कारवाही करने के प्रावधान से संबंधित संस्थान अवश्य ही अपनी एवं राष्ट्र की साख बचाने के लिए प्रयास जरूर करेगा । अन्यथा उनको कठोर से कठोर कारवाही के सामने से मुकाबला करना पड़ेगा । इस नीति के तहत 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़ और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जो वर्तमान परिदृश्य में आसान होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि शैक्षिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए मानव संसाधन (शिक्षक, गैर शैक्षिक कर्मचारी, वांछित विद्यार्थी नामांकन आदि), भौतिक संसाधन (भूमि, भवन, फर्नीचर, विद्युत साधनादि) की पूर्ति हेतु वित्त की आवश्यकता होती है लेकिन सरकारों की लचर व्यवस्था के कारण क्रियान्विति होने में वर्षों लग जाते हैं और निर्धारित समय पर भावी पीढ़ी को वांछित लाभ नहीं मिल पाता जिससे उन्हें निराश होना पड़ता है।

15.4 बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में शिक्षक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी ।इसकी क्रियान्विति हेतु सभी आई.आई. टी., आई.आई. एम., जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली जैसे ख्याति प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के मुखिया एवं फैकल्टी से शिक्षा विभाग खोले जाने के प्रति रुचि , सहयोग एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का गोपनीय सर्वे करवाया जाए जिससे सरकार को क्रियान्वयन करने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े । सभी एकल शिक्षक संस्थानों को बहु विषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता है ।क्योंकि उन्हें भी 4 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने को कहा गया है , यानी जहां शिक्षा के अलावा भारतीय भाषा , दर्शनशास्त्र , मनोविज्ञान , समाजशास्त्र , कला , साहित्य , इतिहास के साथ- साथ कई अन्य विषय जैसे गणित एवं विज्ञान आदि के अध्ययन की व्यवस्था हो , लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए दक्ष शिक्षक प्रशिक्षकों की आबश्यकता है जो अपने विषय के साथ न्याय कर पाने में समर्थ हों , कक्षा की समस्याओं , छात्र अध्यापकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं को सुलझाने तथा शिक्षाशास्त्र के विभिन्न कौशलो में दक्ष हों, इसके लिए सर्वप्रथम शिक्षक प्रशिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी जिससे शिक्षक प्रक्रिया का परिशोधन तथा परिष्कार एवं क्रियान्वयन हो सकेगा ।

15.5 2030 तक बहुविषयक उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जायेगा l यानी एकीकृत बी.एड. शिक्षा और इसके साथ ही विषय जैसे- इतिहास , भाषा ,संगीत, गणि.त ,कंप्यूटर विज्ञान , रसायन विज्ञान , अर्थशास्त्र आदि में एक समग्र ड्यूल मेजर स्नातक डिग्री शामिल होrगी । आधुनिक शिक्षा शास्त्र के शिक्षण के साथ ही साथ शिक्षक शिक्षा में समाजशास्त्र , विज्ञान ,मनोविज्ञान , इतिहास , प्रारंभिक बाल्यवस्था शिक्षा , बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान , भारत से जुड़े ज्ञान और इसके मूल्यों ,लोकाचार, कला , परंपराएं आदि बहुत कुछ शामिल होगा ।

15.7 सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु एनटीए परीक्षा आयोजित होगी। जिससे शिक्षक शिक्षा पैसे के प्रति रुचि , समर्पण , सम्मान एवं लगाव तथा शिक्षा में गुणवत्तायुक्त , दक्ष एवं कुशल भावी शिक्षक एवं सरकार व समाज को वांछित भावी राष्ट्र निर्माता प्राप्त हो सकेंगे ।

15.8. शिक्षा संकाय प्रोफाइल में विविधता आवश्यक होगी। यानी शिक्षकों की विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता जैसे - भाषाई विविधता (हिंदी के साथ अंग्रेजी ,कोई भी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान) गणित के साथ साथ मनोविज्ञान का ज्ञान , दर्शन के साथ राजनीति का ज्ञान , कंप्यूटर विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान का ज्ञान , संगीत के साथ इतिहास का ज्ञान आदि।

15.9 पीएचडी प्रवेश कर्ताओं द्वारा क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम ।

15.10 शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्वयं ,दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग किया जायेगा ।

15.11 मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा । जिससे शिक्षकों की नियमित मेंटरिंग होगी और शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं अनुभवों से कुछ सीखने को मिलेगा जिससे वे अपने व्यवसाय में और भी दक्ष बनेंगे ।

शिक्षक शिक्षा संबंधित कुछ अनुच्छेद :-

अनुच्छेद 1.7 बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के तहत शिक्षकों की प्रारंभिक व्यवसायिक तैयारी और उसके सतत व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाएगा ।

अनुच्छेद 2.3 बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास के साथ प्रशिक्षित , उत्साहित संबलित किया जाएगा ।

अनुच्छेद 5.15 शिक्षक को स्वयं में सुधार करने के लिए तथा अपने कार्य से संबंधित अधुनातन विचार और नवाचार को सीखने के लिए नियमित अवसर प्रदान किए जायेंगे ।

अनुच्छेद 5.17 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उनको पदोन्नत तथा वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक की भूमिका : -

समग्र विकास - छात्रों के संज्ञानात्मक भावात्मक सामाजिक शारारिक विकास कर सकें ।

फैसिलिटेशन और मेंटरशिप – लेक्चर की बजाय रचनात्मक जिज्ञासा सोच को बढ़ावा ।

डिजिटल साक्षरता - प्रौद्योगिकी में कुशल हो ।

बहुविषयक दृष्टिकोण– विभिन्न विषयों का एकीकृत करना में कु। शल हो ।

सतत व्यवसायिक विकास – खुद सीखते रहें ।

स्थानीय संदर्भ – स्थानीय संस्कृति से शिक्षक परिचित हो ।

निष्कर्ष :– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है इस दिशा में हम सभी शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए जिम्मेदार नागरिकों का कर्त्तव्य औरों से ज्यादा बढ़ जाता है और इस कर्त्तव्य को धर्म एवं ईमान मानकर बखूबी निभाने का प्रयास युद्ध स्तर पर करना चाहिए , जिससे अध्यापक का महत्त्व, प्रभाव तथा सम्मान पुन: लौट पाए और अध्यापक को राष्ट्र निर्माता कहा जा सके । जिससे वह अगली पीढ़ी को आकार दे सकें ।

संदर्भ :-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा मंत्रालय ,भारत सरकार, नई दिल्ली ,
2. https://www.jatinverma.org/improving- indiads-teacher-education-system/accessed August 05,2022
3. https://www.education.gov.in/site/upload files/MHRD/files/NEP final HINDI o.pdf/ accessed july12,2022
4. https://www.uou.ac.in/sites/default/files/slm/MAED-610.pdf/ accessed August 04,2022
5. श्रीरामचरितमानस तुसीदास कृत ।